न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिह पुरोहित (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 177 सन 2019

अनवान :–

1. इन्द्रसिह पुत्र खंगसिह जाति राजपुत निवासी नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. खंगसिह पुत्र पन्नेसिह जाति राजुपत साकिन नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. हुक्मसिह पुत्र खंगसिह जाति राजपुत साकिन नहराना तहसील नोहर।
3. विक्रमसिह पुत्र खंगसिह जाति राजपुत साकिन नहराना तहसील नोहर।
4. कमला 5 गुडडी 6 भवरीदेवी पुत्रीयान खंगसिह जाति राजपुत साकिन नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. समुन कवंर पुत्री प्रेमकंवर पुत्री खंगसिह जाति राजपुत साकिन नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 28/08/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 18/15 के खसरा न0 116/5.2100 ,199/8.3330 ,223/6.8910 कुल 20.4340हैक , खाता संख्या 19/16 के खसरा न0 224/3.2880हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा पन्नेसिह पुत्र खमानणसिह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा र पन्नेसिह पुत्र खमानणसिह का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्र के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा पन्नेसिह पुत्र खमानणसिह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 7 प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री की पुत्री है जिनकी शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

Scanned with CamScanner

खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता पन्नेसिह पुत्र खमानणसिह के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या ,4 ता 6 ,जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है एवं प्रतिवादी संख्या 7 प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निरतारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की की रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 18/15 के खसरा न0 116/5.2100 ,199/8.3330 ,223/6.8910 कुल 20.4340हैक , खाता संख्या 19/16 के खसरा न0 224/3.2880हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा पन्नेसिह पुत्र खमानणसिह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा र पन्नेसिह पुत्र खमानणसिह का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्र के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा पन्नेसिह पुत्र खमानणसिह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 7 प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री की पुत्री है जिनकी शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार ,रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 18/15 के खसरा न0 116/5.2100 ,199/8.3330 ,223/6.8910 कुल 20.4340हैक , खाता संख्या 19/16 के खसरा न0 224/3.2880हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 रोही मौजा नहराना से पूर्णत्या साबित है।

उपखण्डाधिकारी फलासिया कोटड़ा

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत भु0प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 के अनुसार पूर्व में वाद भूमि वादी के दादा पन्नेसिह पुत्र खमानणसिह के नाम से दर्ज थी वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता पन्नेसिह पुत्र खमानणसिह के देहान्त होने पर विरासतन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या– 1 के नाम से दर्ज हुई है विरासतन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना सावित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या ,4 ता 6 जो वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 7 जो वादी की मृतक बहन की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,4 ता 7 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चका है ।

इसप्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने के कारण वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 18/15 के खसरा न0 116/5.2100 ,199/8.3330 ,223/6.8910 कुल 20.4340हैक्, खाता संख्या 19/16 के खसरा न0 224/3.2880हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारों वहिव के खातेदार काश्तकार है घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28/08/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. इन्द्रसिह पुत्र खंगसिह जाति राजपुत निवासी नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 खंगसिह पुत्र पन्नेसिह जाति राजुपत साकिन नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

2. हुकमसिह पुत्र खंगसिह जाति राजपुत साकिन नहराना तहसील नोहर।

3. विक्रमसिह पुत्र खंगसिह जाति राजपुत साकिन नहराना तहसील नोहर।

4. कमला 5 गुडडी 6 भवरीदेवी पुत्रीयान खंगसिह जाति राजपुत साकिन नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

7 समुन कवंर पुत्री प्रेमकंवर पुत्री खंगसिह जाति राजपुत साकिन नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 177 सन 2019 निर्णय दिनांक– 28/08/2019

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 18/15 के खसरा न0 116/5.2100 ,199/8.3330 ,223/6.8910 कुल 20.4340हैव , खाता संख्या 19/16 के खसरा न0 224/3.2880हैक्‍ भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारों बहिब के खातेदार काश्तकार है घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/08/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर

Scanned with CamScanner